**International Journal of Multidisciplinary Research in Social Science**
**ISSN: 2455-7943**

# L=h fpUru ekuokf/kdkj d fo"k; e

vfdr xIrk

विधि छात्र, विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

''हमारे विचार से हमारे–सामने अहम मुद्दा अन्याय और असमानता कम करने के लक्ष्यों को हासिल करना है। हमें उन जरूरतों को पूरा करना है जो मानवीय विकास के लिए आवश्यक है''–प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह वक्तत्य देश की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जो स्वतन्त्रता के छह दशक पूर्ण होने के पश्चात् भी कम नहीं हुई। लोकतन्त्र का सर्वप्रमुख लक्ष्य ही 'सामाजिक असमानता' को पाटना है। सामाजिक न्याय, एकजुटता, सद्भाव और समानता देश के आधारभूत मूल्यों के रूप में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्वीकार किए गए परन्तु आज भी ये मूल्य अपना अस्तित्व तलाश रहे है। 'सभी का समाज' एक बड़ी चुनौती है क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्स कुपोषण, लैगिंक एवं सामाजिक भेदभाव, गरीबी तथा अशिक्षा के दृष्चक्र में फंसा हुआ है। देश की आधी आबादी आज भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है, विश्व के सबसे मजबूत गणतन्त्र ने जहाँ सभी को अपनी इच्छा से जीने की, सोचने की, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी वही देश की सामंती या कुछ अन्य धारणाओं ने स्त्रियों को इस सुखानुभूति से अछूता रखा। समय–समय पर संगठनों द्वारा आंकड़े दिये जाते है कुछ समय पूर्व भारत लिंग भेदभाव समीक्षा, 2010 जारी की गई थी जिसमें इस तथ्य को उद्घाटित किया गया कि भारत से लिंगजनित भेदभाव, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों से कहीं अधिक है। पुरूष–महिला सामानता के संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच की 134 देशों की सूची में देश का स्थान 114 के स्थान पर है।

श्रम मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में स्त्री और पुरूषों को मिलने वाली मजदूरी में 27.6 प्रतिशत का अन्तर है। महिला आर्थिक गतिविधि दर भी केवल 42.5 प्रतिशत है जबकि वैश्विक आकलन से पता चलता है कि विश्व के कुल उत्पादन में करीब 160 खरब डॉलर का अदृश्य योगदान देखीभाल अर्थव्यवस्था से होता है। और इसमें से भारत की महिलाओं का मुद्दा में अपरिवर्तनीय और अदृश्य योगदान 110 खरब डॉलर का है। भारत में जन्म से पूर्व ही बालिका भ्रूण हत्या के चलते ढाई करोड़ बालिका जन्म से पूर्व ही गुम हो गई।

कृषि प्रधान देश होने से, बड़ी संख्या में हमारे यहाँ महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न है। इसमें अधिकांश अपना पारिवारिक खेती कार्य संम्भालती है शेष खेतीहर मजदूर के रूप में काम करके अपना तथा परिवार का भरण–पोषण करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व सहमति के साथ जो मानव अधिकारों का चार्टर घोषित किया है वह मुख्य रूप में गरीब व दलित वर्ग के प्रति हो रहे सामाजिक शोषण व अन्याय का निदान है। मानव अधिकारों में अनेक महत्वपूर्ण अधिकार है– जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, व्यक्तित्व गरिमा का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार तथा चिकित्सा व स्वास्थ सुरक्षा का अधिकार। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए शासन ने कई कानून बनाये है, जैसे– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार दुर्घटना मुआवजा

अधिनियम, बंधुआ मजदूरी (उत्पादन) अधिनियम, प्रसूति सुविधा अधिनियम, हिन्दु दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, छुआ–छूत विरोधी अधिनियम आदि। इस कानून प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग गरीब, अशिक्षित होने की विवशता के कारण महिलाएं नहीं कर पाती है। मानव अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 22, 23 तथा 25 के मूल अधिकारों से गरीब तथा दलित महिलायें आज भी कई कारणों से वंचित है। दुर्बल नारी को आवश्यक भोजन और स्वास्थ सुविधाएँ, उनकी बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे तथा असमर्थता की स्थिति में भी शासन व समाज से सिर्फ कागजी कानूनी राहत रूप में प्राप्त है। यथार्थ में वे प्रक्रिया के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ है। महिलाओं की मजबूरी में प्रत्येक प्रकार से उन्हें अधिकार त्याग कर समझौता के लिए स्वयं विवश होना पड़ता है, फिर शिकायत का प्रश्न भी नहीं उठता। यह ध्याय देने के योग्य है कि जीने का अधिकार से तात्पर्य यह नहीं है कि सांस लिए जाना और बीमारी के बीच सांस की ओर नहीं टूटने देना। इन सब दुखद् स्थितियों से मुक्त, सम्मानजनक स्वास्थ्य एवं संतुष्ट जीवन ही इस अधिकार का मूल है। इस संदर्भ में देश के पूर्व न्यायमूर्ति डॉ0 ए0एस0 आनन्द का कथन दृष्टत्य है ''देश के लोग मातृत्व और बच्चों की देखभाल, बाल शिक्षा, बालश्रम गरीब महिलाओं का शोषण तथा समाज के कमजोर वर्ग के संरक्षण के क्षेत्र में मानव अधिकारों को एक बड़ी चुनौती के रूप में ले''। महिला श्रम मानवीय समाज का वह महत्व पूर्व अंग है। जिसके माध्यम से समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन होता है। अतः भारतीय समाज में किसी भी वर्ग की महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनके अधिकार और उनकी समस्यायें उनकी पारिवारिक संरचना में ही सम्भव है। इस स्थिति में सामान्य नारी अधिकार, परिवार के व्यवस्थापरक ढाँचे पर निर्थर करते है। यह तो निर्विवाद तथ्य है कि लैगिंक असमानता के व्यवहारिक कारणों से महिलाओं को अपने घर परिवार व समाज में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। इस स्थिति में मानव अधिकार की मूल धारणा सामनता के अधिकार से वे सहज ही वंचित मानी जा सकती है। परिवार में भेदभाव बिल्कुल स्पष्ट है मुख्य आवश्यकतायें जैसे भोजन और स्वास्थ्य देखरेख में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को मिलने वाला कम भाग, संसाधन संग्रह में सहभागिता होने पर भी उनके पुनर्वितरण में असमानता पिता की अपेक्षा माता की आय पर बच्चों की निर्रभरता आदि में कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका मूल्यांकन परिवार के अंदर ही किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं के साथ इस प्रकार का अन्याय और अधिक ही पाया जाता है।

हमारे देश में इसका आरम्भ कन्या भ्रूण हत्या से होता है। भ्रूण हत्या से अगर बालिका बच भी गई तब पैदा होने के सामय से उसे भाई के समान व्यवहार नहीं मिलता है। महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच अत्यन्त सीमित है घर, संसार में भी महिलाओं को तरह–तरह के अत्याचारों और प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। तुलात्मक रूप में उनके साथ अन्याय ही होता रहा है। विडम्बना की बात यह है कि स्वयं मानवीय अधिकारों से वंचित नारी ने लिंग सम्बन्धी परम्पराओं तथा भेदभावों को चाहे–अनचाहे जीवन की एक अपरिहार्य वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह स्थिति जबकि सम्पूर्ण स्त्री जाति की है।

महिलाओं को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से इन्हें जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है एवं इनके यौन शोषण के अवसर लोगों को सहज मिल जाते है। महिलाएँ घर में भी ज्यादा उत्पीड़ित होती है जिसको हम घरेलू हिंसा के रूप में देखते है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि

महिलाओं को अपने परिजनों के अत्याचार या बचपने में घोर उपेक्षा का समाना करना पड़ता है इस कारण उन्हें शारीरिक, मानसिक यौन और आर्थिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। इसमें विडम्बना यह है कि घरेलू हिंसा ज्यादातर पति, पुरूष, मित्र, पिता, चाचा, मामा आदि लोगों द्वारा ही की जाती है, जिन पर माहिलाएं भरोसा करती है। पुरूष प्रधान समाज संरचना में स्पष्ट रूप से नारी को दोयम दर्जा ही प्राप्त है।

उपर्युक्त स्थिति से हम सभी परिचित है तथा यह भी स्वीकार करते है कि महिलाओं के प्रति अन्याय सदियों से होता रहा है। अतः हमारे देश के मूर्धन्य संविधान निर्माताओं ने संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार के अलावा विभिन्न अनुच्छेदों में ऐसे कई प्रावधान किये है जो महिलाओं के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया है। इसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित तमाम पहलुओं और सशक्तिकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों को इनके दायरे में लाया गया है।

स्त्री–पुरूष भेदभाव और विकास में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई वैधानिक और संवैधानिक उपाय किये गये है। जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1997 में वसीयत के जरिये तथा बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामलों में गैर–हिन्दुओं जैसे ईसाईयों, पारसियों आदि की तरह संशोधन किया गया था मगर इसमें महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार को मान्यता नहीं दी गयी है। लेकिन मेरी राय के प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय ने वसीयत के साथ बिना वसीयत के उत्तराधिकार के महिलाओं को अधिकार को मान्यता दी है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को लागू करने से सम्बन्धित एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देशों की पुष्टि की। अदालत का कहना था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंधन है। जिसमें किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने की गारंटी दी गयी है। इसमें यह भी कहा गया है कि काम का अधिकार कार्य करने के लिए सुरक्षित माहौल और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार पर निर्भर करता है। 1999 में उच्चतम न्यायालय ने संरक्षक कानूनों के अन्तर्गत पिता को विशेष रूप से संरक्षक का अधिकार सौपने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका के सिलसिले में माँ के स्वाभाविक और बिना शर्त संरक्षण के अधिकार को मान्यता दी। इसी तरह 73वां ओर 74वां संविधान संशोधन भारतीय महिलाओं की उन्नति की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय निकायां के तमाम निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई पदों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण आदोलन में बुनियादी बदलाव आया है। इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर महिलाएं निश्चित रूप से राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रही है। चूँकि महिलाओं के अधिकरों को मानवाधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है ऐसे में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया रूक नहीं सकती अधिकार राजनीतिक कार्यसूची में सर्वोच्च स्थान पर रहेगें। लेकिन अनेक मंचों से इस सम्बन्ध में आंशकाएँ प्रकट की गई है जनसंख्या और जीवन

स्तर के बारे में कि सशक्तिकरण वास्तविकता बनाने के बजाए खतरा है कि अगर विभिन्न प्रशासनिक और संवैधानिक उपायों को लागू करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए तो सशक्तिकरण का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

International Journal of Multidisciplinary Research in Social Science :: ISSN : 2455-7943 IJMRSS ॥ विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥